प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.07.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त (1) मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी म0न0 96 शताब्दीपुरम गोविन्दपुरम थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता गंगापुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष (2) कैफ उर्फ अशुल पुत्र मन्साद निवासी मोमराज की चक्की के पास कस्बा मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को ग्राम भूडगढी के रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम एक-दूसरे को काफी साल से जानते हैं, हमने मिलकर लूट की योजना बनाकर लूट करने जैसी घटना कारित करने जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

(1) मन्नू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी म0न0 96 शताब्दीपुरम गोविन्दपुरम थाना मसूरी गाजियाबाद हाल पता गंगापुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

(2) कैफ उर्फ अशुल पुत्र मन्साद निवासी मोमराज की चक्की के पास कस्बा मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मन्नू यादव के विरूद्ध थाना मसूरी पर लूट की योजना के 02 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 03)

अभियुक्त कैफ के विरूद्ध थाना मसूरी पर लूट की योजना के 02 व चोरी का 01 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 04)

अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 45 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

दिनांक 02.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ अभियुक्त सामिर पुत्र सलमुद्दीन निवासी चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 45 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे शराब के पव्वे खरीद कर लाता हूँ और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उन्हें अपने शौक में खर्च कर देता हूँ। मैं ये अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था कि पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सामिर पुत्र सलमुद्दीन निवासी चाँद मारी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण –

अवैध 45 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 23.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ आवासीय प्लाट को बेचने व मकान बनाने के नाम पर व फर्जी एग्रीमेंट कराकर प्रार्थिया से करीब 25 लाख रूपये धोखाधडी कर हडप लेना, न ही प्लाट देना व न ही पैसे वापस करना व पैसे माँगने पर प्रार्थिया के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्तगण 1. प्रोपर्टी डीलर सद्धाम पुत्र वसीम निवासी गेट न0 01 खन्ना नगर लोनी गाजियाबाद 2.फुरकान अली पुत्र व पता अज्ञात 3. भोला रिजवान अली निवासी अज्ञात 4. मौहम्मद वसीम पुत्र इन्ताजर नि0 गली नं0 03 पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद 5.रविन्दर निवासी अज्ञात के विरूद्ध पुरानी घटना होने के कारण मु0अ0स0 639 /2024 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मौहम्मद वसीम पुत्र इन्ताजर नि0 गली नं0 03 पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने और मेरे साथियों ने पैसे के लालच में आकर एक प्लाट वादिया को बेचने के नाम पर 25 लाख रूपये लिये थे तथा फर्जी कागजात तैयार कराकर फर्जी एग्रीमेन्ट करा दिया था तथा वादिया को न ही प्लाट दिया न ही हमने पैसे वापस किये थे। जब वादिया पैसे मांगती थी तो हम लोग उसे धमकी दे देते थे। फिर वादिया ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, काफी समय से मैं व मेरे साथी पुलिस से छिपते-छिपाते घूम रहे थे। आज मै अपने गांव मे आया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद वसीम पुत्र इन्ताजर नि0 गली नं0 03 पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी में धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत व थाना लोनी में धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की सरिया व 01 लोहे का पाना बरामद।

दिनांक 02.07.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी कि अभि0गण द्वारा लोहे की रॉड, लाठी डंडो से वादी व वादी के दोनों भाई नदीम व अब्दुल के साथ मारपीट करना जिससे वादी के भाई नदीम के सिर में गंभीर चोट आना, सिर में टाँके आना तथा साथ ही अब्दुल का भी गंभीर रूप से घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 191(2)/191(3)/ 190/115(2)/110 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 03.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1.साजिद पुत्र साबूद्दीन निवासी मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 2. आरिफ उर्फ कीलू पुत्र बाबूद्दीन निवासी मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की सरिया व 01 लोहे का पाना बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा दूसरे पक्ष के साथ पैसों को लेकर झगडा था जिसे लेकर हमारी दूसरे पक्ष से लडाई हो गई थी, हमने झगडे के दौरान हाथ में लिये लोहे के सरिये व पाना से दूसरे पक्ष के नदीम और अब्दुल के सिर में मार दिया था जिससे उनके सिर में चोट लग गई थी और हम वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.साजिद पुत्र साबूद्दीन निवासी मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

2.आरिफ उर्फ कीलू पुत्र बाबूद्दीन निवासी मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 लोहे की सरिया व 01 लोहे का पाना बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम--- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान कुंडल छीनने की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध 315 बोर तमंचा, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक जोड़ी कान के कुंडल व 01 प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद व दूसरा अभियुक्त भी काबिंग के दौरान गिरफ्तार ।

आज दिनांक 03.07.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु पेरिफेरल अंडरपास पर लगातार चेकिंग की जा रही थी तभी 02 बाइक सवार व्यक्ति दुहाई गाँव की ओर से आते दिखाई दिए जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को देखकर कन्नौजा रोड की तरफ मोटरसाइकिल से तेजी से भागने लगा तो तभी उसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई , जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया जिसमें गोली चलाने वाले अभियुक्त के पैर मे गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से अभियुक्त उमर पुत्र शाहिद निवासी ग्राम कल्लूगाड़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक जोड़ी कान के कुंडल (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त 01 प्लेटिना मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है तथा पुलिस टीम द्वारा कंबिग के दौरान दूसरे अभियुक्त शाहिद पुत्र अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 02.07.2025 को मुरादनगर क्षेत्र मे कुंडल छीनने की घटना में शामिल थे। मैं और मेरे पिता शाहिद मिलकर लूट की घटना कारित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. उमर पुत्र शाहिद निवासी ग्राम कल्लुगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद
2. शाहिद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कल्लुगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को ब्लैकमेल कर डरा धमकाकर उसके घर के गहने लेने की घटना का किया अनावरण, घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गहने व नगदी बरामद ।

दिनांक 02.07.2025 को वादी श्री गोविन्द कुमार शर्मा निवासी वार्डर लाईन बैरिक नं0 3 साई मन्दिर के पीछे कपडा मिल मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद ने थाना मोदीनगर पर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्त गण 1. दिवयम पुत्र महेश निवासी ग्राम फजलगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद 2. शैलेश उर्फ मोनू पुत्र नामालूम निवासी भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद 3. अरनव पुत्र अनिल निवासी आलोक पार्क थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा उसके भतीजे उम्र करीब 14 वर्ष को आई फोन का लालच देकर बहला फुसलाकर घर से 04 सोने के कंगन लेना व जान से मारने की धमकी देना व डरा धमका कर अन्य करीब 12 तोले सोने के आभूषण अगूँठी, झुमके आदि की रगंदारी कर लेना,

जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल दिनांक 02.07.2025 को थाना मोदीनगर पर मु0अ0सं0 366/25 धारा 308(5),351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1. शलेश उर्फ मोनू उर्फ मन्नू पुत्र अजीत निवासी भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद 2. दिव्यम पुत्र महेश निवासी ग्राम फजलगढ थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को हापुड रोड से गढी गदाना जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना मे संलिप्त अरनव और अभिषेक की शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणो से पूछताछ की गयी तो बताया कि हमारी दोस्ती वादी के भतीजे से पहले से है। वादी के भतीजे को हमने आईफोन दिलाने के लिये कहा और बहला फुसलाकर उसके घर से 02 सोने की अगूँठी मंगा ली और उसको आईफोन दे दिया, उसके बाद उसको हमने अपने जाल मे फंसाकर डरा धमकाकर उसके घर से थोडा थोडा करके 04 सोने के कडे , 02 झुमके , 01 नाक की लोंग आदि मंगा लिया और उसको डराते धमकाते रहे कि वह यह बाते किसी से न बताये। इन जेवरात में से 01 गले का लोकेट व 01 कान की झुमकी ग्राम फजलगढ थाना भोजपुर में सुनार अभिषेक को 53 हजार रु में बेच दिया था। कुछ सामान हमारे साथी अरनव के पास है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1- शैलेश उर्फ मोनू उर्फ मन्नू पुत्र अजीत निवासी भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
2- दिव्यम पुत्र महेश निवासी ग्राम फजलगढ थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1- अरनव पुत्र अनिल निवासी आलोक पार्क मोदीनगर गाजियाबाद
2- अभिषेक (सुनार)

बरामदगी का विवरण-

- 04 कडे पीली धातु के
- 01 जोडी कानो के झुमके
- 01 नाक की लोंग
- 12000 रु नगद (घटना से सम्बन्धित)

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।